

कार्यालय वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक /14-1 दिनांक:अलीगढ़:सितम्बर 15, 2017

सेवा में,

डिवीजनल मैनेजर,
एस्सार ऑयल लिमिटेड,
ए-5, सैक्टर-3, नोएडा।

विषय:-

अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0-105) किमी0 चैनेज 9.10 की दांयी पटरी पर ग्राम हरदुआगंज के खसरा सं0-176 में विकसित किये जा रहे रिटेड आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0783 हे0 संरक्षित वन भूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 01 वृक्ष के पातन की अनुमति।

संदर्भ:-

मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 उ0प्र0, लखनऊ का पत्र संख्या 154/अलीगढ़/14131/2015 दिनांक 20.07.2017 एवं इस कार्यालय की पत्र संख्या 320/14-1 दिनांक 28.07.2017 तथा प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ की पत्र संख्या:274/अलीगढ़/14131/2015 दिनांक 26.07.2014 एवं इस कार्यालय की पत्र संख्या 678/14-1 दिनांक 29.08.2017

उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों का अवलोकन करने का कष्ट करें जिनके द्वारा मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 154/अलीगढ़/14131/2015 दिनांक 20.07.2017 द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर समस्त सूचना एवं अभिलेख प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ को उपलब्ध कराने हेतु आपको लिखा गया था परन्तु आपके द्वारा आपत्तियों का निराकरण कर सूचना एवं अभिलेख अभी तक प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़ को उपलब्ध नहीं कराये गये हैं।

अतः आपको पुनः सूचित किया जाता है कि आप मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 उ0प्र0, लखनऊ के पत्र संख्या 154/अलीगढ़/14131/2015 दिनांक 20.07.2017 द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण कर सूचना एवं अभिलेख यथाशीघ्र प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आपको करे

प्रति

15/9/17

प्रभागीय निदेशक, अलीगढ़

क्रमांक..... 1738

फाइल नं0..... 144

दिनांक..... 16-9-17

(बी0 प्रभाकर)

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

पत्रांक: 076 /14-1 दिनांकित।

1. प्रतिलिपि- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 उ0प्र0, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।
2. प्रतिलिपि- प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़ को उपरोक्त विषयक संदर्भित पत्रों के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(बी0 प्रभाकर)

वन संरक्षक,
अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।

कार्यालय प्रभागीय निदेशक, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।
पत्रांक २७५ / अलीगढ़ / 14131 / 2015, अलीगढ़: दिनांक: जुलाई: २६, 2017

सेवामें,

डिवीजनल मैनेजर,
एस्सार ऑयल लिमिटेड,
ए-5, सैक्टर-3, नोएडा।

विषय:- अलीगढ़-रामघाट मार्ग (एम0डी0आर0-105) किमी0 चैनेज 9.10 की दांयी पटरी पर ग्राम-हरदुआगंज के खसरा सं0- 176 में विकसित किये जा रहे रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग निर्माण हेतु 0.0783 है0 संरक्षित वनभूमि के गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 01 वृक्ष के पातन की अनुमति।

संदर्भ:- मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ का पत्रांक 154/अलीगढ़/14131/ 2015 दिनांक 20.07.2017

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में संदर्भित पत्र द्वारा लगायी गयी आपत्तियों का निराकरण शीघ्रातिशीघ्र अनुपालन अपेक्षित है।

1. ऑनलाइन पार्ट-1 के बिन्दु-ई(3) पर 35 मानव दिवस अंकित किये गये हैं। क्या 35 मानव दिवस में परियोजना पूर्ण कर ली जायेगी ? सूचना संशोधित करें।
2. प्रस्ताव के साथ संलग्न प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अनापत्ति की वैधता समाप्त हो चुकी है। वैध प्रमाण-पत्र प्रस्ताव के साथ संलग्न करें।

भवदीय,

(एस0डी0त्रिपाठी)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

पत्रांक २७५ / दिनांकित।

प्रतिलिपि: वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

(एस0डी0त्रिपाठी)

प्रभागीय निदेशक,

सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़।

OIC